नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेंगी –

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से थाना क्षेत्र का नाम जहां बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएं कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, कमरा नं. 156, भूतल पर, मिनि सचिवालय, झालावाड़ पर रखे टेण्डर बॉक्स में दिनांक 07 नवम्बर, 2019 (सांयकाल 5:00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता झालावाड़ के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। यदि कोई निविदादाता अलग–अलग थाना परिसर/पुलिस चौकी की बजरी के लिये निविदा प्रस्तुत करता है, तो बयाना/अमानत राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक भी अलग–अलग ही संलग्न करने होंगे।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में संबंधित थाना परिसर में की जा सकती है।
5. जप्तशुदा बजरी थाना परिसर में जैसी भी, जितनी भी, जहां भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाऐं कमेटी द्वारा दिनांक 08 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नं. 156 में खोली जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जायेगा। आदेश प्राप्ति के 03 कार्यदिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से 05 एवं अधिकतम 06 दिवस में समस्त बजरी उठानी होगी, अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठानेकी कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्त्यानामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निर्देशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादात को बोली राशि के अलावा जीएसटी/टेक्स अतिरिक्त जमा कराना होगाग।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय करने निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाताा द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता झालावाड़ द्वारा वाहन के वनज क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

13. सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 05 दिवस सहित अधिकतम 06 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो संबंधित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सर्तकता) को Whats App पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलामी की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची, क्षेत्र के संबंधित उपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारन/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी सिक सीधे ही उपयोगिता स्थान पर परिवहन करेगा।
18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटो वाहनों की तोल पर्चियां एवं भरे हुए वाहन को फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रयुक्त की जायेगी।
19. प्रत्येक स्टॉक को नियम समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
21. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।

-Sd-

(राजेन्द्र भट्ट)
सहायक खनि अभियन्ता,
झालावाड़

क्रमांक : सखअ/झाला/निविदा/2019–20/ 7203 दिनांक 23-10-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. श्रीमान निदेशक महोदय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. निदेशलय खान एवं भू–विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3. जिला कलक्टर महोदय, जिला झालावाड।
4. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक (खान) महोदय, कोटा–जोन कोटा।
5. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता महोदय, कोटा–वृत, कोटा।
6. श्रीमान खनि अभियन्ता महोदय, खान एंव भू–विज्ञान विभाग, राजमंगमण्डी।
7. श्रीमान सहायक निदेशक महोदय, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय झालावाड़ को दो स्थानीय अखबार में विज्ञापन जारी करने हेतु दी जा रही है।
8. थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झालावाड़/भवानीमण्डी एवं पुलिस कोतवाली झालावाड।
9. कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय हाजा।

सहायक खनि अभियन्ता,
झालावाड